



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6308

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42129 सन् 2025

परवेन्द्र उर्फ लवकुश

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- मनीष कुमार द्विवेदी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री मनीष कुमार द्विवेदी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री पुनीत कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक अलाउद्दीन उर्फ आयुष की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 3(1) के अन्तर्गत थाना खोराबार, जिला गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0625 / 2025 में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 11.09.2025 से कारागार में है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक के विरुद्ध उन सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सहगामी रहने की भूमिका आरोपित की गई है जिन्होंने घायल को क्षतियाँ कारित की थीं। इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई भूमिका आरोपित नहीं की गई है। उसका एक आपराधिक पूर्ववृत्त है जिसकी पर्याप्त व्याख्या की गई है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **परवेन्द्र उर्फ लवकुश** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
 3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।
- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश